

(C) 92

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:- 5280/5347

Block/Sector:- JARAULI

Plot/HouseNo:-120,110 ETC

Scheme:- NONScheme

Perinit Date:- 23/6/2010

Application Date:- 26/08/2005

Permit No:- 33 /L/05-06

Area (Place) JARAULI

Land Usage:- RESIDETIAL

Applicant's Name:- BALRAM MANWANI

PresentAdresss:-1433 RATANLAL NAGAR KANPUR

Sanction vide order dated: 16/09/2009 v.c. build granted as per sanctioned LAYOUT Plan
enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Vaild for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case
of renewal .

G/C Authorised Signatory

Copy to:- Officer inchare (Enforcement)alongwith sanctioned copy of MaP

G/C Authorised Signatory
8/52 5.5

अनुज्ञा की शर्तें—

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/प्लॉट का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भौतिक का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहां पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार करनी होगी।